न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/149/2025	2025/188	21.05.2025	15.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. कमला पनि कन्हैया,
2. पिंकी पुत्री देवीसहाय,
3. बनवारीलाल पुत्र कन्हैया,
4. हरसहाय पुत्र कन्हैया,
5. मोहरसिंह पुत्र कन्हैया,
6. पूनीबाई पुत्री महादेवा,
7. मिश्रो पुत्री महादेवा,
8. राजकुमार पुत्र देवीसहाय,

जातियान चमार, निवासीयान भजेडा, तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना—पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02—श्री विमल कुमार जैन —वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ला0 5
03—श्री दिनेश यादव —वकील अप्रार्थी सं. 6, 7

—निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम भजेडा, तहसील व जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 2233 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी—सोयम भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 2233 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी—सोयम भूमि वाके ग्राम भजेडा, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का भजेडा की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 2233 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी—सोयम भूमि वाके ग्राम भजेडा, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया है कि मिन अप्रार्थीगण आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक आवंटित कृषि भूमि पर बतौर आंवटी काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा मिन अप्रार्थीगण का समस्त राजस्व

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रिकार्ड में गैरखातेदार का इन्द्राजात चला आ रहा है तथा आवंटनशुदा आराजी पर गत फसल भी मिन अप्रार्थीगण द्वारा बोकर काटी हुई है। फसल सिचाई के लिए पानी के लिए बोरिंग नही होने के काण बरसात के समय में ही फसल की जाती है, बाजरा गेहूं, तरा, सरसों बोई जाती है व उक्त खसरा नम्बर में एक कमरा भी बनाया हुआ है। उक्त आराजी मिन अप्रार्थीगण द्वारा काफी जिस्मानी मेहनत करके एवं निजी लागत लगा कर काबिल काश्त बनायी है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। वह विधि विरूद्ध खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड महज रंजिशवश पेश की गई जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। मिन अप्रार्थीगण द्वारा आंवटन नियमो की पूरी तरह पालना की गई है और की जा रही है। उक्त आराजी मिन अप्रार्थीगण गरीब भूमिहीन व अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण आवंटन की गई है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण व उसके परिवार तबाह व बरबाद हो जावेगें तथा उक्त आराजी के अलावा मिन अप्रार्थीगण के पास आय का कोई स्त्रोत किसी प्रकार का नही है। प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में राजकुमार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर नोटिस प्रेषित किया है जबकि उसका दिनांक 26.01.2020 को लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। मूल आंवटी कन्हैयालाल की मृत्यु के उपरांत उसकी विरासत का नामांतकरण उसके सभी वारिसान के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ चूँकि कन्हैया के वारिसान बतौर वारिसान द्वारा उक्त जमीन पर काबिज रहकर जोत बो रहे थे।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हम वारिसान का नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा सन् 2024 व 2025 के राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में हमारे द्वारा बोई फसल का नाम का इन्द्राज है जिससे स्पष्ट है कि अलॉटशदा आराजी पर हमारे द्वारा ही खेती की जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड और तथ्यो के विपरीत पेश की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जानें की कृपा की जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम भजेडा स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 2233 रकबा 0.76 हैक्टेयर सन् 1970 के पश्चात् अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी। परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की अनिवार्य शर्तों की पालना नहीं की गई है। मौके पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का भजेडा की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 से स्पष्ट रूप से होती है, जिसमें मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा या फसल नहीं पाई गई। आवंटी द्वारा भूमि का उपयोग आवंटन के उद्देश्यों के लिए नहीं करने के कारण नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर बचाव में तर्क दिया कि वे आवंटन से लेकर आज तक उक्त भूमि पर बतौर आवंटी काश्तकार काबिज हैं और राजस्व रिकॉर्ड में गैर–खातेदार के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि गत फसल (बाजरा, गेहूं, सरसों आदि) उनके द्वारा ही बोई गई थी। भूमिहीन व अनुसूचित जाति का होने के कारण यह भूमि उन्हें आवंटित हुई थी और उन्होंने स्वयं मेहनत कर इसे काश्त योग्य बनाया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को रंजिशवश और मौका व रिकॉर्ड के खिलाफ बताया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अप्रार्थी सं. 8 राजकुमार का दिनांक 26.01.2020 को लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान गिरदावरी संवत 2080–81 में भी उनका नाम और फसल दर्ज है, अतः आवंटन निरस्त न किया जावे।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उपस्थित लोगों ने तस्दीक की है कि विवादित खसरा नंबर 2233 पर पूरण पुत्र प्रहलाद और मूलचन्द पुत्र सुरमत (जाति बावरिया) ने कब्जा कर सरसों की काश्त कर रखी है। अप्रार्थीगण ने अपने बचाव में खसरा गिरदावरी संवत 2080–81 प्रस्तुत की है जिसमें बाजरा, सरसों व गेहूं की फसलों का अंकन है। यह सत्य है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि मौजूद है, परन्तु नियम 14(4) की कार्यवाही में मात्र गिरदावरी में इन्द्राज होना ही वास्तविक और भौतिक कब्जे का प्रमाण नहीं है, विशेषकर जब मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट इसके विपरीत हो। इसके अतिरिक्त, मौके पर बावरियों की ढाणी हेतु एक ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा रामस्वरूप पुत्र सुगना (जाति बावरिया) द्वारा एक पक्का कमरा भी निर्मित कर लिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का मूल उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को स्वयं खेती करने हेतु भूमि उपलब्ध कराना है। आवंटित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना, काश्त करने हेतु सौंप देना या उस पर तीसरे पक्ष को पक्का निर्माण (सड़क व कमरा) करने देना आवंटन की मूल शर्तों का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर गैर–खातेदार आवंटियों (अप्रार्थीगण) का भौतिक कब्जा व काश्त नहीं पाया गया है। पटवारी की निष्पक्ष रिपोर्ट इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि अप्रार्थीगण ने आवंटित भूमि से अपना कब्जा व नियंत्रण खो दिया है और भूमि का उपयोग आवंटन की शर्तों के अनुरूप नहीं हो रहा है। अतः अप्रार्थीगण का यह तर्क कि वे निरंतर भूमि पर काबिज हैं, पत्रावली पर उपलब्ध मौके की तथ्यात्मक साक्ष्य के प्रकाश में स्वीकार योग्य नहीं है। जब भूमि पर तीसरे पक्ष का कब्जा व पक्का निर्माण स्थापित हो चुका है, तो केवल कागजी गिरदावरी के आधार पर आवंटन को बहाल नहीं रखा जा सकता। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अलवर का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार ग्राम भजेडा, तहसील व जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 2233 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी–सोयम भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया गैर–खातेदारी कृषि आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार (भू0अ0), अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः राज्य सरकार (सिवाय चक) के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)